भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1925

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

1925. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत जिला-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के प्रभाव का कोई विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): आंध्र प्रदेश राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के अंतर्गत आबंटन और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्यवार और वर्ष-वार कुल संख्या अनुलग्नक-III और IV में दी गई है।

(ग) से (ङ): सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जेएसएसके के प्रभाव का आकलन समय-समय पर आयोजित क्षेत्रीय/राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में क्षेत्रीय दौरों और सामान्य समीक्षा मिशनों (सीआरएम) के माध्यम से करती है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकारों के साथ पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सहित कई माध्यमों से संवाद।
- जनसंचार माध्यमों सहित सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) रणनीतियों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाना।
- एएनएम, आशाकर्मियों और सीएचओ जैसे क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता पारस्परिक संचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं।
- जेएसएसके के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्यों और जिलों में नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरों की व्यवस्था की गई है।

दिनांक 06.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम **(जेएसएसके-मातृ स्वास्थ्य)** का अनुमोदन एवं व्यय

(लाख रूपये में)

वित्त वर्ष	**अनुमोदन**	**व्यय**
2023-24	8,174.58	6,579.04

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम **(जेएसएसके-बाल स्वास्थ्य)** का अनुमोदन एवं व्यय

(लाख रूपये में)

वित्त वर्ष	**अनुमोदन**	**व्यय**
2023-24	378.00	377.50

नोट- उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं तथा अनंतिम हैं।

2. व्यय में केंद्र द्वारा निर्गत, राज्य द्वारा निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल हैं। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब (31.08.2024 तक अद्यतन), कर्नाटक, मिजोरम (31.07.2024 तक अद्यतन) और मेघालय (30.06.2024 तक अद्यतन) को छोड़कर व्यय 30.09.2024 तक अद्यतन किया गया है।

दिनांक 06.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- II

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के लिए जिला-वार अनुमोदन और व्यय

(लाखों में)

क्रम सं.	**ज़िला**	**2023-24**	
		संस्वीकृत निधि	**व्यय**
1	अल्लूरी सीताराम राजू	56.00	101.21
2	अनकापल्ली	100.00	44.83
3	अनंतपुर	142.30	134.46
4	अन्नमय्या	60.00	85.15
5	बापतला	49.55	45.70
6	चित्तूर	103.00	66.35
7	पूर्वी गोदावरी	84.17	104.70
8	एलुरु	119.86	81.75
9	गुंटूर	184.18	40.53
10	काकीनाडा	127.50	2.50
11	कोनासीमा	67.00	137.45
12	कृष्ण	64.20	70.53
१३	कुरनूल	367.43	108.75
14	नांदयाल	203.46	20.65
15	नेल्लोर	123.73	42.95
16	एनटीआर	10.00	73.96
17	पलनाडु	25.00	24.10
18	पार्वती पुरम मनयम	95.00	84.89
19	प्रकाशम	88.90	41.28
20	श्री सत्य साईं	101.26	35.20
21	श्रीकाकुलम	114.76	265.05
22	तिरुपति	107.70	35.21
23	विशाखापत्तनम	180.00	163.84
24	विजयनगरम	156.98	27.34
25	पश्चिमी गोदावरी	95.64	139.80
26	वाईएसआर कडप्पा	81.66	74.91
कुल		**2909.28**	**2053.08**

स्रोत: जेएसएसके के अंतर्गत निर्गत एवं व्यय का विवरण (राज्य रिपोर्ट – आंध्र प्रदेश)

दिनांक 06.12.2024 को पूछे जाने जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक - III

जेएसएसके योजना के तहत लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अखिल भारत	1,31,37,308	1,50,33,749	1,52,88,954	1,85,24,521	1,51,74,118
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2,638	0	2,514	2,715	5,471
आंध्र प्रदेश	3,01,868	2,72,922	2,96,983	2,72,620	2,61,001
अरुणाचल प्रदेश	17,007	17,735	18,462	22,217	22,734
असम	7,90,501	5,91,248	5,64,857	6,51,106	8,69,382
बिहार	3,74,252	3,77,326	3,98,245	9,53,825	7,08,846
चंडीगढ़	21,388	12,480	14,689	17,762	36,591
छत्तीसगढ	2,97,726	3,56,085	3,09,456	4,39,107	3,34,711
दिल्ली	1,65,075	1,57,522	1,43,758	1,85,220	2,36,546
गोवा	26,163	16,162	18,383	19,254	29,245
गुजरात	8,57,061	8,26,051	8,34,662	9,04,265	7,52,872
हरियाणा	3,28,779	3,88,198	4,20,868	4,68,745	4,36,595
हिमाचल प्रदेश	2,14,804	1,45,932	1,04,469	74,227	1,42,051
जम्मू और कश्मीर	3,91,835	1,23,340	1,32,691	1,66,274	2,34,207
झारखंड	4,39,584	3,96,461	4,33,600	4,43,592	4,79,257
कर्नाटक	2,16,426	1,29,054	2,18,772	1,61,033	5,83,966
केरल	1,18,586	2,37,377	2,42,471	2,73,762	5,58,415
लद्दाख	0	3,623	967	4,238	4,637
लक्षद्वीप	13	18	16	17	627
मध्य प्रदेश	8,19,367	11,93,124	9,25,696	13,63,143	11,66,711
महाराष्ट्र	19,33,112	19,02,311	19,56,966	19,57,975	12,54,143
मणिपुर	53,345	7,530	11,387	18,609	19,479
मेघालय	98,448	83,726	95,856	1,09,043	1,46,227
मिजोरम	5,199	4,033	3,479	2,79,459	9,394
नगालैंड	11,684	6,035	7,750	9,481	12,522
ओडिशा	4,60,880	4,78,277	4,99,643	4,39,727	7,30,828
पुदुचेरी	14,382	6,480	9,304	6,408	5,543
पंजाब	4,10,660	1,73,477	1,76,014	1,88,247	4,56,890
राजस्थान	5,95,251	15,24,940	18,47,036	31,60,037	6,40,801
सिक्किम	1,065	1,798	1,257	3,962	4,661
तमिलनाडु	5,07,189	5,33,348	5,46,208	5,17,981	8,49,564
तेलंगाना	97,957	66,400	1,29,447	1,29,890	1,87,430
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	11,154	7,540	9,597	10,332	14,063
त्रिपुरा	35,879	42,105	44,377	39,586	43,704
उत्तराखंड	1,56,871	1,80,110	1,56,446	1,68,774	2,66,803
उत्तर प्रदेश	29,97,781	38,42,866	39,41,553	42,44,292	26,60,050
पश्चिम बंगाल	3,63,378	9,28,115	7,71,075	8,17,596	10,08,151

डेटा स्रोत: *एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार*

दिनांक 06.12.2024 को पूछे जाने जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1925 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक- IV

जेएसएसके योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभान्वित बीमार शिशुओं की कुल संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अखिल भारत	22,94,480	24,43,696	24,98,702	31,52,931	16,06,462
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	447	0	126	501	437
आंध्र प्रदेश	30,466	34,513	50,504	45,128	43,531
अरुणाचल प्रदेश	590	741	764	629	938
असम	1,01,552	74,406	83,319	1,16,047	61,332
बिहार	39,674	14,279	18,288	2,23,171	45,159
चंडीगढ़	7,176	3,653	5,021	6,668	7,932
छत्तीसगढ	61,758	58,263	51,990	71,109	42,080
दिल्ली	26,874	17,010	13,212	19,776	9,807
गोवा	6,837	1,991	1,790	1,000	774
गुजरात	2,29,056	1,59,963	1,82,880	2,30,414	1,20,779
हरियाणा	50,249	34,957	37,015	32,197	28,256
हिमाचल प्रदेश	87,554	50,251	65,261	82,398	19,951
जम्मू और कश्मीर	32,910	29,528	34,987	54,230	50,648
झारखंड	99,007	75,178	1,08,029	1,19,396	21,644
कर्नाटक	1,49,892	59,986	58,138	37,033	59,755
केरल	9,384	29,429	29,066	32,221	30,703
लद्दाख	0	567	209	781	922
लक्षद्वीप	13	18	22	9	47
मध्य प्रदेश	1,96,273	3,01,166	2,19,253	3,34,560	1,18,472
महाराष्ट्र	1,62,008	3,28,617	2,97,562	2,17,859	1,22,307
मणिपुर	3,067	1,272	1,482	2,832	2,110
मेघालय	9,680	7,420	5,856	8,668	10,622
मिजोरम	1,147	695	596	752	1,763
नगालैंड	703	518	572	379	1,116
ओडिशा	1,15,711	1,19,603	97,805	1,01,235	72,718
पुदुचेरी	2,098	0	828	0	1,356
पंजाब	88,765	54,633	60,362	70,174	33,784
राजस्थान	3,06,099	2,63,261	3,47,730	5,00,709	1,10,265
सिक्किम	813	291	382	979	1,103
तमिलनाडु	35,061	1,24,045	1,38,321	1,58,270	1,19,011
तेलंगाना	4,260	3,729	3,593	11,686	6,895
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	5,217	2,877	3,299	4,060	7,219
त्रिपुरा	6,730	6,545	10,160	20,268	8,718
उत्तराखंड	12,525	9,515	13,762	18,005	14,260
उत्तर प्रदेश	3,29,515	3,34,209	3,29,121	3,82,354	1,65,791
पश्चिम बंगाल	81,369	2,40,567	2,27,397	2,47,433	2,64,257

डेटा स्रोत: *एचएमआईएस पोर्टल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार*
